B-3

L-16

Economy

⇒ वर्तमान राजकोषीय (fiscal) लक्ष्य :-

⇓

1- राजकोषीय घाटा ⟹ GDP का 4.5%
(2025-26 तक)

2- ऋण – GDP अनुपात
(सामान्य सरकार)

60%

केन्द्र ⇓ 40%

राज्य ⇓ 20%

2024-25 तक

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

⟹ वित्त आयोग (Finance Commission)

केन्द्र और राज्यों के मध्य राजकोषीय शक्ति (fiscal power) के असन्तुलन को दूर करने के बारे में वित्त आयोग सुझाव देता है।

⇓

1- लम्बवत (Vertical) असन्तुलन

⇓

केन्द्र, राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली

↳ कारण: संवैधानिक प्रावधान

२. क्षैतिज असन्तुलन (Horizontal Imbalance)

राज्यों में भी पारस्परिक रूप से राजकोषीय शक्ति के सन्दर्भ में अन्तर देखने को मिलते हैं।

↳ कारण: आर्थिक विकास में अन्तर

वित्त आयोग लम्बवत असन्तुलन दूर करने के लिए निम्नलिखित दो उपकरणों का प्रयोग करता है।

(i) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना।

(ii) अनुच्छेद २७५ में वर्णित वैधानिक अनुदानों की संस्तुति करना।

क्षैतिज असन्तुलन दूर करने के लिए आयोग विभाजन योग्य राशि (Divisible pool) में से सूत्र के माध्यम से उन राज्यों को अधिक हिस्सा देने की कोशिश करता है जो तुलनात्मक रूप से अधिक पिछड़े होते हैं।

उपर्युक्त के अलावा वह वैधानिक अनुदानों के अन्तर्गत विशेष प्रकार के अनुदानों की संस्तुति कर सकता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

⇒ 15 वां वित्त आयोग और लम्बवत् असन्तुलन

अध्यक्ष : श्री N.K सिंह
समयावधि : 2020-21 और 2021-26

आयोग द्वारा यह कहा गया कि केन्द्र अपने करों का कम से कम 41% हिस्सा राज्यों को स्थानांतरित करें।

उपर्युक्त के अलावा आयोग द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत ₹ 10,33,062 करोड़ के वैधानिक अनुदान स्थानांतरित करे।

यदि 41% हिस्से को देखा जाये तो केन्द्र से राज्यों की ओर ₹ 42,24,760 करोड़ की राशि 5 वर्ष की अवधि में स्थानांतरित होने का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार, केन्द्र द्वारा राज्यों को स्थानांतरित होने वाली कुल राशि को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

1- करों में हिस्सा - ₹ 42,24,760 करोड़ (लगभग 80%)
2- वैधानिक अनुदान - ₹ 10,33,062 करोड़ (लगभग 20%)

₹ 52,57,822 करोड़

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
A Trusted Learning Platform
KHAN SIR

⇒ 15 वां वित्त आयोग और क्षैतिज असन्तुलन :

इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है।

मानक	वजन
1- Population (2011)	15%.
2- Demographic Performance	12.5%.
3- Income Distance	45%.
4- Area	15%.
5- Tax Effort	2.5%.
6- Forest & Ecology	10%.
	100.0%

⇒ 16 वां वित्त आयोग (2026-31)

↳ गठन कर दिया गया है।

↳ अध्यक्ष : श्री अरविन्द पानगड़िया

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

⇒ GST (Goods & Service Tax)
वस्तु एवं सेवा कर

भारत में GST 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से जुलाई 2017 से लागू किया गया।

समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र व राज्य सरकारें अपने GST (CGST और SGST) का कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सप्लाई पर आरोपण करती है। यह सहकारी संघवाद का परिचायक है।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform © KHAN SIR

⇒ GST की कार्यप्रणाली :

GST मूलतः एक VAT (Value Addition Tax) है।

इस प्रकार यह माल के सम्पूर्ण मूल्य के बजाय मूल्य संवर्धन को लक्ष्य बनाता है, हालांकि इसे लगाया पूरे मूल्य पर जाता है।

उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं, व्यापारियों आदि को ITC (Input Tax Credit) का लाभ दिया जाता है। इसके कारण यह VAT में परिवर्तित हो जाता है।

उपभोगताओं को ITC नही मिलती है।

⇒ ITC क्या है?

ITC एक लाभ है जिसमें आगतों (Inputs) पर लगे कर या तो वापस कर दिये जाते हैं या उन्हें offset (समायोजित) करने की छूट दे दी जाती है।

उदाहरण -:

GST @ 10%

	A	B	
	⇓	⇓	Consumer
1. Price →	₹ 80	₹ 100	
2. GST → 10%	₹ 8	₹ 10	
	₹ 88	₹ 110 → Consumer	

Total tax Liability = ₹ 10
− ITC = ₹ 8

Net Tax Liability = ₹ 2

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR